प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रकिया संहिता)

1. जिला- जयपुर, थाना- प्रधान आरक्षी केंद्र, भ्र0 नि0 ब्यू0 जयपुर, वर्ष-2023 प्र0इ0रि0 सं. ...293/2023.....दिनांक....14/11/23

2. (I)अधिनियम:- धारा 7, 12 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018)

   (II) अधिनियम .... धारायें

   (III) अधिनियम .... धारायें ....

   (IV) अन्य अधिनियम एवं धारायें भा0दं0सं0..........................

   (अ) रोजनामचा आम रपट संख्या ..225.. समय ..11:40 AM.

   (ब) अपराध घटने का दिन-सोमवार दिनांक 28-8-2023

   (स) थाना पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक ....

4. सूचना की किस्म :- लिखित /मौखिक- लिखित

5. घटनास्थल:- कार्यालय पुलिस उप अधीक्षक, वृत्त सांभर, जिला जयपुर ग्रामीण।

   (अ)पुलिस थाना से दिशा व दूरी:-बजानिब पश्चिम 75 किमी

   (ब) बीट संख्या.........................जयरामदेही सं.................

   (स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो पुलिस थाना ....जिला ....

6. (i)परिवादी /सूचनाकर्ता :-

   (अ) नाम- श्री अशोक कुमार गोयल

   (ब) पिता/पति का नाम- श्री उमेश चन्द्र गोयल,,

   (स) जन्म तिथी- उम्र 62 वर्ष,

   (द) राष्ट्रीयता - भारतीय

   (य) पासपोर्ट संख्या ....जारी होने की तिथि जारी होने की जगह ....

   (र) व्यवसाय- सेवानिवृत कर्मचारी पीएचईडी

   (ल)पता- निवासी 501, मिडास टच मल्हौत्रा नगर, रोड् नं0 01, वी.के.आई.ए. जयपुर

   (ii)सह-परिवादी /सूचनाकर्ता :-

   (अ) नाम- डॉ. रामलाल

   (ब) पिता/पति का नाम- श्री बोदूराम चौधरी,

   (स) जन्म तिथी- उम्र 53 वर्ष,

   (द) राष्ट्रीयता - भारतीय

   (य) पासपोर्ट संख्या ....जारी होने की तिथि जारी होने की जगह ....

   (र) व्यवसाय- डाक्टर

(ल)पता- निवासी राजस्थान होस्पीटल जोबनेर रोड़ बस्सी नागा, कालवाड़, जयपुर

7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टयों सहित : -

1. श्री भंवर लाल जाट पुत्र श्री गणेशराम जाट, उम्र 48 वर्ष निवासी साखुन, थाना नरेना, जिला जयपुर हाल सहायक उप निरीक्षक, रीडर, कार्यालय पुलिस उप अधीक्षक, वृत्त सांभर, जिला जयपुर ग्रामीण।

2. श्री कानाराम (दलाल) प्राईवेट व्यक्ति।

8. परिवादी / सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने में विलम्ब का कारण :-.....

9. चुराई हुई / लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें).....

10. चुराई हुई/ लिप्त सम्पत्ति का कुल मुल्य- 45,000/-रू0

11. पंचनामा/ यू.डी. केस संख्या (अगर हो तो) .....

12. विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित ....हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें):-

दिनांक 28.08.2023 को परिवादी श्री अशोक कुमार गोयल पुत्र श्री उमेश चन्द्र गोयल, निवासी 501, मिडास टच मल्हौत्रा नगर, रोड़ नं0 01, वी.के.आई.ए. जयपुर व सह-परिवादी डॉ. रामलाल पुत्र श्री बोदूराम चौधरी, राजस्थान होस्पीटल जोबनेर रोड़ बस्सी नागा, कालवाड़, जयपुर ने ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित होकर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को एक लिखित प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि "सेवा में, श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एसीबी चौकी जयपुर देहात, जयपुर विषयः- रिश्वत मागने पर कानूनी कार्यवाही बाबत। महोदय, उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि मै अशोक कुमार गोयल 501, मिडास टच मल्हौत्रा नगर, रोड नं. 1, वीकेआईए, जयपुर का निवासी हूं। श्री सरवण पुत्र चन्दा मेघवशी निवासी खतवाडी खुर्द ने धोखाधडी की एफआईआर श्री अक्षय पारीक पुत्र श्री राधेश्याम पारीक, निवासी सिनोदिया की दर्ज करवाई, जिसकी जांच डीवाईएसपी सांभर द्वारा की जा रही है, डीवाईएसपी मेडम के रीडर श्री भवंरलाल ने मुझे मो0नं0 9928856533 से फोन करके कहा कि आपके व श्री रामलाल चौधरी के खिलाफ श्री सरवण ने एफआईआर दर्ज करवाई है, आप दोनो मुझसे कार्यालय मे आकर मिलो नहीं तो जेल जाओगे। मै व श्री रामलाल चौधरी डिप्टी कार्यालय मे श्री भवंरलाल जी से दिनांक 11.8.23 को मिले, श्री भंवरलाल ने डिप्टी मेडम से भी मिलवाया, डिप्टी मेडम ने भी मुझे कार्यवाही करने का डर दिखाया। श्री भवंरलाल ने मुझसे व श्री रामलाल जी से एफआईआर मे से नाम हटाने की एवज मे रिश्वत मांगी और कहा की रिश्वत मेडम मांग रही है। हमने राशि पूछी तो कहा की किसी अन्य दिन आपको कानाराम के द्वारा बुलाउगां, जगह तारीख व समय आपको बता दिया जावेगा। श्री कानाराम ने रामलाल चौधरी के घर आकर स्वंय के मोबाईल से श्री भंवरलाल से बात करवाई और कहा कि आप दोनो अशोक जी व आप 28.8.23 को ही आजाओ। आपसे निवेदन है कि भ्रष्ट अधिकारियो के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करें हम रिश्वत नहीं देना चाहते है। एसडी अशोक गोयल 28.8.23 अशोक कुमार गोयल पुत्र श्री उमेशचन्द गोयल मो0नं0 7011013630 एसडी रामलाल रामलाल चौधरी 9783103419" परिवादी अशोक कुमार गोयल ने प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अपने हस्तलेख से लिखा होना बताया। परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया तो मामला रिश्वत मांग का होना पाया गया है। इस पर दिनांक 28-8-2023 को ही रिश्वत मांग सत्यापन करवाया गया तो आरोपी श्री भंवर लाल रीडर सहायक उप निरीक्षक द्वारा परिवादी श्री अशोक

कुमार गोयल व सह-परिवादी डॉ. रामलाल चौधरी को उनके विरूद्व दर्ज प्रकरण में आरोपी नही बनाने की ऐवज में 45000/- रूपये रिश्वत की मांग करते हुए रिश्वती राशि दलाल श्री कानाराम प्राईवेट व्यक्ति को देने की मांग सत्यापित हुई।

दिनांक 15-9-2023 को परिवादी श्री अशोक कुमार गोयल व सह-परिवादी डॉ. रामलाल चौधरी ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित हुए ओर बताया कि श्री कानाराम दलाल का कॉल आया है जिसने शाम को करीब 6.00 पीएम पर मांगी गई रिश्वती राशि 45000/- रूपये लेने के लिए सी.ओ. कर्यालय में बुलाया है। इस पर पूर्व से पाबन्द शुदा गवाह श्री रमेश कुमार मीना एवं श्री निखित कुमार को कार्यालय में तलब कर परिवादी एवं सह-परिवादी का आपस मे परिचय करवाया जाकर परिवादी द्वारा प्रस्तुत शिकायत पर ब्यूरो द्वारा की जा रही गोपनीय ट्रेप कार्यवाही मे स्वतंत्र गवाह रहने की स्वीकृति चाही गई तो दोनो ने अपनी-अपनी मौखिक स्वीकृति प्रदान की।

तत्पश्चात् दिनांक 15-9-2023 को समय करीब 3 पीएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने परिवादी श्री अशोक कुमार गोयल एवं सह-परिवादी डॉ. रामलाल चौधरी को रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता के क्रम मे आरोपी को दी जाने वाली रिश्वती राशि पेश करने की कहने पर परिवादी श्री अशोक कुमार गोयल ने अपने पास से पांच पांच सौ रूपये के 90 नोट कुल 45000/- रूपये प्रस्तुत किए। उक्त नोटो पर श्री देवेन्द्र सिंह कानि0 68 से काार्यालय की आलमारी मे से फिनोलफ्थलीन पाउडर की शीशी निकलवाकर गवाहान की मौजूदगी में फिनोलफ्थलीन पाउडर एक अखबार पर डलवाकर उक्त नोटो पर फिनोलफ्थलीन पाउडर भली भांति लगवाया जाकर श्री देवेन्द्र सिंह कानि0 68 से फिनोलफ्थलीन पाउडर युक्त 45,000/-रू0 परिवादी की पहनी हुई पेंट की साईड की दाहिने जेब मे रखवाए गए। जिसकी फर्द पेशकशी नोट व दृष्टान्त फिनोल्फ्थलीन पाउडर व सुपुर्दगी डिजिटल वाईस रिकार्डर पृथक से तैयार कर शामिल पत्रावली की गई।

दिनांक 15-9-2023 को समय करीब 4.30 पीएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान एवं ब्यूरो स्टॉफ मय सामान सरकारी ट्रेप बॉक्स, प्रिन्टर, लेपटॉप के सरकारी वाहनो एवं परिवादी श्री अशोक कुमार गोयल के साथ श्री विक्रम सिंह कानि0 को उसके स्वयं के वाहन एवं सह-परिवादी डॉ. रामलाल चौधरी को उसके स्वयं के वाहन से ब्यूरो कार्यालय से रवाना होकर समय करीब 7 पीएम पर सी0ओ0 कार्यालय सांभर के पास पहूंचकर ट्रेप जाल बिछाया जाकर परिवादी के ईशारे के इंतजार मे मुकीम हुए।

समय करीब 8.30 पीएम पर परिवादी एवं सह-परिवादी बिना ईशारा किये अपने वाहने से सीओ कार्यालय के बाहर से रवाना हुए इस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एवं स्वतंत्र गवाहान एवं ब्यूरो स्टॉफ भी अपने-अपने सरकारी वाहनो मे बैठकर सांभर जयपुर रोड़ पर पहूंचे जहां पर परिवादी श्री अशोक कुमार गोयल एवं सह-परिवादी डॉ. रामलाल चौधरी मिले। परिवादी एवं सह-परिवादी ने बताया कि श्री भंवर लाल रीडर सहायक उप निरीक्षक आज छुट्टी पर है व दलाल कानाराम ने कहा कि रीडर ने उसे यह भी बताया है कि उसे शिकायत का अन्देशा है फोन पर बात मत किया करो। आदि वार्ता होने के कारण व रीडर भंवर लाल सहायक उप निरीक्षक के उपस्थित नही मिलने के कारण हमने रिश्वत राशि नही दी थी। इस पर अग्रिम कार्यवाही आयन्दा करने का निर्णय लेते हुए परिवादी श्री अशोक कुमार गोयल को पूर्व में सुपुर्द की गई रिश्वती राशि 45000/- रूपये स्वतंत्र गवाह श्री निखित से निकलवाई जाकर एक लिफाफे मे रखकर सुरक्षित रखी गयी व ब्यूरो कार्यालय के लिए रवाना होकर समय करीब 11.15 पीएम पर ब्यूरो कार्यालय पहूंचे।

दिनांक 22-9-2023 को परिवादी श्री अशोक कुमार गोयल एवं सह-परिवादी डॉ. रामलाल चौधरी ने जरिये वाट्सअप कॉल बताया कि दलाल कानाराम व रीडर भंवर लाल सहायक उप निरीक्षक ने दिनांक 23-9-2023 को 1-2 बजे के लगभग सी0ओ0 कार्यालय सांभर पर रिश्वत राशि 45000/- रूपये लेने के लिए बुलाया है तथा

परिवादी श्री अशोक कुमार गोयल व सह-परिवादी डॉ. रामलाल चौधरी ने यह भी बताया कि हमे विश्वास है कि हम जब सीओ कार्यालय सांभर जायेगे तो वह हमसे मुकदमे मे पूछताछ करने के नाम पर मुकदमे मे हमे मुलजिम नही बनाने की ऐवज मे हमसे मांगी गई रिश्वती राशि 45000/- रूपये की रिश्वत लेगा। इस पर स्वतंत्र गवाहान एवं ब्यूरो स्टॉफ व परिवादी एवं सह-परिवादी को दिनांक 23-9-2023 को सुबह 9 बजे ब्यूरो कार्यालय आने के लिए पाबन्द किया गया।

दिनांक 23-9-2023 को समय करीब 9.00 एएम पर परिवादी, सह-परिवादी एवं ब्यूरो स्टॉफ के कार्यालय में उपस्थित आने के पश्चात् समय करीब 9.15 एएम पर पूर्व में उक्त कार्यवाही मे शामिल रहे स्वतंत्र गवाहान के उपस्थित नही आने पर दिनांक 22-9-2023 को उक्त कार्यवाही हेतु पाबन्द किए गए गवाह श्री हितेश कुमार कालावत एवं श्री मुकेश माथुर कार्यालय पीएचईडी मालवीयनगर उपस्थित ब्यूरो कार्यालय आ चुके है जिनसे परिवादी एवं सह-परिवादी का आपस मे परिचय करवाया जाकर परिवादी एवं सह-परिवादी द्वारा ब्यूरो मे प्रस्तुत की गई शिकायत के बारे मे अवगत कराते हुए उक्त कार्यवाही मे स्वतंत्र गवाह रहने की मौखिक स्वीकृति चाही गई तो दोनो स्वतंत्र गवाहान ने अपनी-अपनी मौखिक सहमति प्रदान की। जिस पर अग्रिम कार्यवाही आरंभ की गई।

दिनांक 23-9-2023 को समय 9.45 एएम पर परिवादी श्री अशोक कुमार गोयल द्वारा दिनांक 15-9-2023 को सुपुर्द किए गए पांच पांच सौ रूपये के 90 नोट कुल 45000/- रूपये जो एक लिफाफे मे रखकर कार्यालय की आलमारी मे रखे हुए है जिनको श्री देवेन्द्र सिंह कानि0 68 से निकलवाया जाकर परिवादी एवं स्वतंत्र गवाहान के समक्ष दोनो स्वतंत्र गवाहान से गिनवाया जाकर पूर्व मे तैयार की गई फर्द पेशकशी से नम्बरो का मिलान करवाया जाकर रिश्वती राशि के नोटो का विवरण अंकित किया जाकर उपरोक्त वर्णित नम्बरी नोट पर श्री देवेन्द्र सिंह कानि0 68 से कार्यालय की आलमारी से फिनोलफ्थलीन पाउडर की शीशी निकलवा कर गवाहान की मौजूदगी में फिनोलफ्थलीन पाउडर एक अखबार पर डलवाकर उक्त नोटो पर फिनोलफ्थलीन पाउडर भली भांति लगवाया गया। जिसकी फर्द पेशकशी नोट व दृष्टान्त फिनोल्फ्थलीन पाउडर व सुपुर्दगी डिजिटल वाईस रिकार्डर पृथक से तैयार कर शामिल पत्रावली की गई।

दिनांक 23-9-2023 को समय करीब 11.15 एएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय परिवादी श्री अशोक कुमार गोयल, स्वतंत्र गवाहान एवं ब्यूरो स्टॉफ मय सामान सरकारी ट्रेप बॉक्स, प्रिन्टर, लेपटॉप के सरकारी वाहनो से एवं सह-परिवादी डॉ. रामलाल चौधरी के स्वयं के वाहन के साथ गोपनीय कार्यवाही हेतु ब्यूरो कार्यालय से रवाना होकर समय करीब 1.55 पीएम पर सांभर कस्बे के पास पहूंचकर वाहनो को साईड मे खड़ा कर परिवादी एवं सह-परिवादी को सुपुर्द शुदा डिजिटल वाईस रिकार्डर चालू करवाकर आरोपी के कार्यालय की तरफ रवाना किया जाकर उनके पीछे-पीछे श्री विक्रम सिंह कानि0 को रवाना किया गया तथा शेष जाप्ता आस पास अपनी उपस्थिति छुपाते हुए परिवादी के ईशारे मे मुकीम हुए।

दिनांक 23-9-2023 को समय करीब 2.20 पीएम पर परिवादी श्री अशोक कुमार गोयल ने जरिये वाट्सअप कॉल मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि हम आपके पास से रवाना होकर सी.ओ. कार्यालय सांभर पर पहूंचकर सीओ कार्यालय के अन्दर गए तो वहां पर रीडर भंवर लाल सहायक उप निरीक्षक व एक महिला कर्मी बैठी हुई थी। श्री भंवर लाल रीडर ने हमे देखकर घबराते हुए कहा कि आप बाहर चाय की थड़ी पर बैठो जिस पर हम दोनो सीओ ऑफिस से बाहर चाय की थड़ी पर बैठ गए कुछ समय बाद श्री भंवर लाल रीडर सहायक उप निरीक्षक हमारे पास आया ओर अपनी मोटर साईकिल पर बैठे बैठे ही घबराते हुए बताया कि मेरी बच्ची का एक्सीडेन्ट हो गया है मै तो अभी जा रहा हूं और उसने डॉ. रामलाल को बताया कि आप दोनो का नाम मुकदमे से हटा दिया है। इसके बाद वह वहां से रवाना हो गया था। इस पर परिवादी एवं सह-परिवादी को श्री विक्रम कानि0 को साथ

लेते हुए सह-परिवादी डॉ. रामलाल के जोबनेर टोल के पास स्थित होस्पीटल पहूंचने के निर्देश दिये गये एवं मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एवं हमराहीयान जाप्ता व स्वतंत्र गवाहान भी सांभर से डॉ. रामलाल चौधरी के जोबनेर टोल स्थित अस्पताल के लिए रवाना होकर समय करीब 3.30 पीएम पर डॉ. रामलाल चौधरी के अस्पताल के बाहर पहूंचा जहां पर परिवादी एवं सह-परिवादी एवं श्री विक्रम सिंह कानि0 खड़े मिले। श्री विक्रम सिंह कनि0 ने डिजिटल वाईस रिकार्डस सुपुर्द किए जिनको सुरक्षित रखा गया तथा परिवादी श्री अशोक कुमार गोयल को सुपुर्द किए गए रिश्वती राशि के 45000/- रूपये प्राप्त कर एक लिफाफे मे रखकर सुरक्षित रखा गया तथा परिवादी श्री अशोक कुमार गोयल एवं श्री विक्रम सिंह कानि0 को साथ लेते हुए ब्यूरो कार्यालय के लिए रवाना होकर समय करीब 5 पीएम पर ब्यूरो कार्यालय पहूंचा। आयन्दा परिवादी श्री अशोक कुमार गोयल व सह-परिवादी डॉ. रामलाल चौधरी का आरोपीगण द्वारा रिश्वत लेने संबंधी कॉल आने पर अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

दिनांक 26-9-2023 को सह-परिवादी डॉ. रामलाल चौधरी ने जरिये वाट्सअप कॉल कर बताया था कि मेरे पास दलाल कानाराम आया था जिसने बताया था कि भंवर लाल रीडर सहायक उप निरीक्षक ने मुझे बोला की तुम भी मरोगे और हमे भी मरवाओगे अब रामलाल व अशोक कुमार गोयल का फोन रिसीव मत करना व श्री भंवर लाल रीडर सहायक उप निरीक्षक बहुत घबरा रहे थे शायद उनको आप पर सन्देह हो गया है।

दिनांक 17-10-2023 को परिवादी श्री अशोक कुमार गोयल एवं सह-परिवादी डॉ. रामलाल चौधरी के ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आने पर स्वतंत्र गवाहान को तलब कर परिवादी श्री अशोक कुमार गोयल व सह-परिवादी डॉ. रामलाल चौधरी एवं दलाल कानाराम (प्राईवेट व्यक्ति), आरोपी भंवर लाल रीडर सहायक उप निरीक्षक के मध्य दिनांक 28-8-2023 को रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता एवं दिनांक 15-9-2023 व 23-9-2023 को रिश्वत लेन देन से पूर्व मोबाईल पर एवं आमने सामने हुई वार्ता की नियमानुसार फर्द ट्रांसक्रिप्ट व सीडीया तैयार की गयी।

दिनांक 17-10-2023 को परिवादी श्री अशोक कुमार गोयल ने एक प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि मेरे द्वारा प्रस्तुत की गई शिकायत के संबंध में आरोपीगण श्री भंवर लाल रीडर सहायक उप निरीक्षक सीओ कार्यालय सांभर व दलाल कानाराम को शक हो गया है इसलिए यह अब मेरे से रिवश्त के 45000/- रूपये नही लेगे। अत: मेरे दिए हुए 45000/- रूपये मुझे वापस लोटाने की कृपा करें। इस पर नियमानुसार परिवादी श्री अशोक कुमार गोयल को पूर्व मे सुपुर्द किए गए 45000/- रूपये वापस लोटाए गए

इस प्रकार परिवादी श्री अशोक कुमार गोयल व सह-परिवादी डॉ. रामलाल चौधरी द्वारा प्रस्तुत शिकायती प्रार्थना पत्र के क्रम मे दिनांक 28-8-2023 को परिवादी श्री अशोक कुमार गोयल एवं सह-परिवादी डॉ. रामलाल चौधरी व दलाल कानाराम (प्राईवेट व्यक्ति) के मध्य हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता जिसमें आरोपी लोक सेवक श्री भंवर लाल रीडर सहायक उप निरीक्षक रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता में विभिन्न चरणो मे परिवादी श्री अशोक कुमार गोयल व सह-परिवादी डॉ. रामलाल चौधरी को उनके विरूद्व कार्यवाही करने का भय दिखाता है फिर परिवादी अशोक कुमार गोयल के यह कहने पर कि अब एक फाईनल बता दो इस पर भंवर लाल रीडर सहायक उप निरीक्षक कहता है कि ''**पैतालीस दे दिज्यो**'' इस पर अशोक कुमार गोयल कहता है कि ''**हां**'' इस पर श्री भंवर लाल रीडर पुन: कहता है क ''**पैतालीस दे दिज्यो**'' इस पर श्री अशोक कुमार गोयल कहता है कि ''**चलो डन.. पैतालीस मे डन है तो कल आपको..दस ओर दे देंगे**'' इस पर श्री भंवर लाल रीडर कहता है कि ''**दे देना मुझे क्या अभी जरूरत नही**'' इस पर डॉ. रामलाल चौधरी कहता है कि ''**नही नही**

देखो'' इस पर श्री अशोक कुमार गोयल कहता है कि ''**नही 10 आपको कल दे देगें**'' इस पर श्री भंवर लाल रीडर कहता है कि ''**हू**''। इसी वार्ता के कम मे परिवादी अशोक कुमार गोयल के यह कहने पर कि ''**कल दस देगे पच्चीस बाद मे**'' इस पर श्री भंवर लाल रीडर कहता है कि ''**नही नही पैंतालीस**'' इस पर डॉ. रामलाल चौधरी कहता है कि ''**हां पैतालीस**'' इस पर अशोक कुमार गोयल कहता है कि ''**हां पैंतीस पैंतीस पैंतीस बाद मे दे देगें**'' इस पर श्री भंवर लाल रीडर सहायक उप निरीक्षक कहता है कि ''**पैतालीस एक साथ ही दे देना**''। उसके बाद परिवादीगण द्वारा तफतीश हेतु आने का समय बताने की कहने पर आरोपी लोक सेवक श्री भंवर लाल रीडर कहता है कि ''**मेरी तो सुणो आप जिस दिन को कानजी (कानाराम) को दे देणा उसके दुसरे दिन आपको आणा है दुसरे दिन आप ऑफिस आ जाणा दो दिन तीन दिन का टाईम है चार तारीख पांच तारीख**'' आदि वार्ताए होती है।

इसी प्रकार दिनांक 15-9-2023 को परिवादी श्री अशोक कुमार गोयल व सह-परिवादी डॉ. रामलाल चौधरी जब रिश्वत राशि 45000/- रूपये देने सीओ कार्यालय सांभर पर जाते है तब आरोपी दलाल श्री कानाराम कुछ समय बाद सी0ओ0 कार्यालय आकर आरोपी श्री भंवर लाल रीडर सहायक उप निरीक्षक का अवकाश पर होना बताता है तथा यह भी बताता है कि भंवर लाल रीडर सहायक उप निरीक्षक को शिकायत होने का अन्देशा हो रखा है व दोनो से टेलीफोन पर बात करने से मना कर रखा है व तय की गई रिश्वती राशि लेने के लिए आरोपी लोक सेवक श्री भंवर लाल रीडर सहायक उप निरीक्षक से वार्ता कर समय देने संबंधित आदि वार्ताए करता है।

इसी क्रम मे आरोपी अधिकारी श्री भंवर लाल रीडर द्वारा नियत दिनांक 23-9-2023 को जब परिवादी श्री अशोक कुमार गोयल व सह-परिवादी डॉ. रामलाल चौधरी रिश्वत राशि देने सी0ओ0 कार्यालय सांभर पर जाते है तब रीडर भंवर लाल सहायक उप निरीक्षक परिवादी व सह-परिवादी को कार्यालय मे देखते ही कहता है कि ''**चलो आ रहा हूं उधर**'' ''**चाय की दुकान पे चलो आप**'' इसके बाद परिवादी एवं सह-परिवादी सांभर सीओ कार्यालय के बाहर चाय की थड़ी पर बैठते है इतने मे आरोपी श्री भंवर लाल रीडर सहायक उप निरीक्षक अपनी मोटर साईकिल पर आता है ओर परिवादी एवं सह-परिवादी से मिलता है और कहता है कि ''**मेरी बच्ची का एक्सीडेंट हो गया है**'' और कहता है कि मै अरजेन्ट मे जा रहा हूं इस पर डॉ. रामलाल चौधरी पूछता है कि कब आवोगे आप इस पर श्री भंवर लाल रीडर सहायक उप निरीक्षक कहता है कि ''**आपको कोई दिक्कत नही आपका हटा दिया नाम**'' इस पर डॉ. रामलाल चौधरी कहता है कि ''**ठीक है**'' इस पर श्री भंवर लाल रीडर कहता है कि ''**है ना अब आपको कोई बयान नही देना कुछ नही इनका भी हटा दिया**'' इस पर डॉ. रामलाल चौधरी कहता है कि ''**वो वो चीज**'' इस पर श्री भंवर लाल रीडर अपनी बच्ची की तबीयत खराब होने की कहकर चला जाता है।

इस प्रकार परिवादी द्वारा दिनांक 28-8-2023 को प्रस्तुत शिकायत प्रार्थना पत्र व उस पर दिनांक 28-8-2023 को ही हुई रिश्वत मांग सत्यापन कार्यवाही एवं रिश्वत लेन देन से पूर्व दिनांक 15-9-2023 व दिनांक 23-9-2023 को परिवादी श्री अशोक कुमार गोयल व सह-परिवादी डॉ. रामलाल व आरोपी लोक सेवक श्री भंवर लाल, सहायक उप निरीक्षक रीडर सी0ओ0 कार्यालय सांभर एवं प्राईवेट व्यक्ति (दलाल) श्री कानाराम के मध्य हुई वार्ता एवं उस समय तक परिवादीगण के विरूद्व दर्ज प्रकरण का पैण्डिग होने से पाया गया है कि **लोक सेवक श्री भंवर लाल सहायक उप निरीक्षक रीडर सी0ओ0 कार्यालय सांभर, जिला जयपुर ग्रामीण द्वारा अपने पदीय स्थिति का लाभ उठाकर बेईमानी के आशय से स्वयं व अन्य को लाभ पहूंचाने की नियत से प्राईवेट व्यक्ति श्री कानाराम (दलाल) के साथ 45000/- रूपये रिश्वत की स्पष्टतः मांग की गई है। अतः** आरोपीगण श्री भंवर लाल रीडर सहायक उप निरीक्षक सी0ओ0

कार्यालय सांभर, जिला जयपुर ग्रामीण व श्री कानाराम (दलाल) प्राईवेट व्यक्ति का उक्त कृत्य धारा 7, 12 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) की परिधी मे आता है।

अत: आरोपीगण (1) श्री भंवर लाल जाट पुत्र श्री गणेशराम जाट, उम्र 48 वर्ष निवासी साखुन, थाना नरेना, जिला जयपुर हाल सहायक उप निरीक्षक, रीडर, कार्यालय पुलिस उप अधीक्षक, वृत्त सांभर, जिला जयपुर ग्रामीण, (2) श्री कानाराम (दलाल) प्राईवेट व्यक्ति के विरूद्ध बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन प्रेषित है।

(आहद खान)
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
जयपुर ग्रामीण,जयपुर।

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री आहद खान, अतिरिक्त अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर ग्रामीण ने प्रेषित की है। रिपोर्ट के तथ्यों से जुर्म अन्तर्गत 7, 12 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपीगण 1. श्री भंवर लाल जाट पुत्र श्री गणेशराम जाट, सहायक उप निरीक्षक पुलिस, रीडर, कार्यालय पुलिस उप अधीक्षक, वृत्त सांभर, जिला जयपुर ग्रामीण एवं 2. श्री कानाराम (दलाल) प्राईवेट व्यक्ति के विरूद्ध घटित होना पाया गया है। अतः प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 293/2023 उपरोक्त धाराओं में पंजीबद्ध कर प्रतियाँ नियमानुसार जारी की गई। अनुसंधान जारी है।

14/11/23

(विशनाराम)
पुलिस अधीक्षक,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

क्रमांकः- 3044-47 दिनांक 14.11.2023

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, क्रम संख्या-1, जयपुर।
2. पुलिस अधीक्षक, जिला जयपुर ग्रामीण।
3. पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर देहात, जयपुर।

पुलिस अधीक्षक,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।